

भूखण्डों के विलयन हेतु आवेदन प्ररूप में वांछित दस्तावेजों की सूची

भाग-1 (अधिनियम/नियम अनुसार आवश्यक)

1.1 नियम 22 (क) (1) परिशिष्ट "ट" प्ररूप -थ में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन

1.2 स्वीकृत अभिन्यास की प्रति

1.3 साईट प्लान

1.4 विकास योजना में दर्शाये अनुसार भूमि उपयोग

1.5 भूमि का प्रमाणित खसरा अक्स (आसपास की भूमि एवं उनकी सीमायें दर्शाते हुए)

1.6 मर्जर भू-खण्ड (संयुक्तकृत भू-खण्ड) दर्शाते हुये प्रस्तावित अभिन्यास प्लान (अथवा भूमि के साथ विलीन भू-खण्ड)

1.7 समस्त भूखण्ड/अंतरर्वलित भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज

1.8 संबंधित अभिकरण जैसे गृह निर्माण मण्डल/विशेष क्षेत्र विकासप्राधिकरण/नगर विकास प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि उसके द्वारा योजना (प्लान) विकसित किये गये थे ।

1.9 शपथ पत्र (आशय, कब्जे की स्थिति तथा भू-खण्ड/भूमि का न्यायालय में विवाद का विषय नहीं है स्पष्ट कथन करते हुए)

1.10 आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति (रूपये 5000/- आवेदन शुल्क)

1.11 संलग्न भू खण्ड के स्वामियों की सूची मय संपूर्ण पते के ।

भाग-2 (संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार)

2.1 यदि भूमि स्वामी एक से अधिक है एवं एक परिवार के सदस्य नहीं है तो उनके विकास के संबंध में आपसे में किये गये रजिस्टर्ड अनुबंध की प्रति ।

भाग-3:-संबंधित जिला कार्यालय/ अधिकारी द्वारा अपेक्षित

भूखण्डों के विभाजन हेतु आवेदन प्ररूप में वांछित दस्तावेजों की सूची

भाग-1 (अधिनियम/नियम अनुसार आवश्यक)

- 1.1 नियम 22 (ख) (1) परिशिष्ट "ट" प्ररूप द में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- 1.2 स्वीकृत अभिन्यास की प्रति
- 1.3 साईट प्लान
- 1.4 भूखण्डों के विभाजन के पश्चात प्रस्तावित अभिन्यास प्लान
- 1.5 भूमि स्वामित्व/हक संबंधी दस्तावेज
- 1.6 गृह निर्माण मण्डल/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नगर विकास प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि अपेक्षित हो)
- 1.7 आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति (रूपये 5000/- आवेदन शुल्क)
- 1.8 आशय, कब्जे की स्थिति तथा भूमि किसी भी न्यायालय में विवादित नहीं है, का स्पष्ट कथन करते हुए शपथ पत्र
- 1.9 संलग्न भू खण्डों के स्वामियों की सूची मय संपूर्ण पते के ।

भाग-2 (संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार)

- 2.1 यदि भूमि स्वामी एक से अधिक है एवं एक परिवार के सदस्य नहीं है तो उनके विकास के संबंध में आपसे में किये गये रजिस्टर्ड अनुबंध की प्रति ।

भाग-3:-संबंधित जिला कार्यालय/ अधिकारी द्वारा आपेक्षित